P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VI February-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण : एक अध्ययन

सारांश

जनसंख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि निरन्तर विकराल रूप धारण करती जा रही है। यदि समय से इसकी वृद्धि पर अंकुश न लगाया जा सका तो वह दिन अब दूर नही है कि लोगों को न तो सड़कों पर चलने की अपेक्षा खड़े होने का स्थान मिल सकेगा और न ही खाद्यान्न, जल, और जीवनयापन हेतु आवश्यक सामग्री की पूर्ति ही की जा सकेगी।

मुख्य शब्द : जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण

अंजू शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
अकबरपुर पी0जी0 कालेज,
अकबरपुर, कानपुर देहात

परिचय

किसी देश की भूमि चाहे कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, क्यों न उस देश में नदी, पहाड़ और जंगल आदि अन्य प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों किन्तु यदि वहाँ की जनसंख्या आवश्यकता से बहुत कम या बहुत अधिक है अथवा वहा के लोग रोगी आलसी दुर्बल व चरित्रहीन हैं तो निश्चय ही वह देश उन्नति के पथ पर तीव्रगति से आगे न बढ़ सकेगा। इसके विपरीत यदि किसी देश की जनसंख्या मात्रा और गुण की दृष्टि से ठीक है तो अन्य बातों के समान रहने पर वह बड़ी आसानी और तेजी के साथ आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है। यह सब तभी सम्भव है जबकि उस देश की जनसंख्या नियंत्रित हो, देश समृद्धिशाली हो। इसके लिए आवश्यक ज्ञान हेतु जनसंख्या शिक्षा की महती आवश्यकता है। जनसंख्या शिक्षा के प्रसार में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरों और गाँवों के आकार में वृद्धि हुई है। नगरों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उनमें कई–कई मंजिल के एक कमरे वाले मकानों में 5 से 6 सदस्यों के परिवार इस तरह से रह रहे हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े। नगरों में लोगों को न तो खुली धूप ही मिलती है और न ही पूरी तरह से स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध हो पाता है। छोटे–छोटे बच्चों की भीड़ सड़कों और गलियों में सुबह और शाम इतनी अधिक हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी सिनेमा गृह से भीड़ बाहर निकल रही हो। लोगों को नगरों में आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग गर्मी, बरसात और सर्दी में फुटपाथ पर ही रात व्यतीत करते हैं।

इधर तीन चार दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट सा हो रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही हम कुछ प्रयत्न करके अपनी उपज आदि को बढ़ा पाते हैं, हमारी जनसंख्या भी आगे बढ़ जाती है, और हम जहाँ के तहाँ दिखाई देते हैं।

देश को स्वतंत्र हुए लगभग 67 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस लम्बे समय में देश में सम्पूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए बहुत से प्रयास किये गये हैं। जिनके परिणामस्वरूप भोजन, वस्त्र तथा आवास की समस्याओं को हल करने पर विशेष बल दिया गया है। खाद्य समस्या को हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया है, सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है, उत्तम कोटि के बीजों के प्रयोग पर बल दिया गया है और रासायनिक खाद के निर्माण के लिए विशाल कारखानों की व्यवस्था की गयी है। वस्त्र की समस्या को हल करने के लिए हथकरघा उद्योग का विकास किया गया है और कपड़ा मिलों में स्वचालित यंत्रों को लगाया गया है। गृह समस्या के हल के लिए नवीन प्रकार के कम खर्च में बनने वाले मकानों को बनाने का प्रबन्ध किया गया है और मकान बनवाने के लिए कम ब्याज पर सुविधाजनक शर्तों के साथ ऋण की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि इन प्रश्नों के फलस्वरूप समस्याओं की भीषणता तो कम हो गयी है पर वे पूर्णतयः हल नहीं हो पाई है। कुछ समय के लिए तो ऐसा ज्ञात होता है कि समस्या दूर हो गयी है पर थोड़े समय बाद उनका भयंकर रूप पुनः हमारे सामने आ जाता है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या की तीव्रता का पता इस तथ्य से लग जाता है कि सन् 1947 में हमारे देश की जनसंख्या 34 करोड़, 1967 में 52 करोड़, 1971 में 60 करोड थी तथा 1981 में की गयी गणना के आधार पर उस समय 71 करोड़ से भी कुछ ऊपर थी

और यह अनुमान किया गया था कि 2000 तक यह जनसंख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जायेगी। यह लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान समय में देश की जनसंख्या एक अरब 25 करोड़ से अधिक है।

इस प्रकार हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से संसार के सबसे विशाल देशों में है। इसी परिस्थिति को देखकर देश के अर्थशास्त्रियों तथा नेताओं ने देश की जनसंख्या को सीमित करने के लिए अनेक प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये हैं।

अधिकतर विकासशील देशों में लगभग 40 से 45 प्रतिशत व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु के हैं। यह आयु–वर्ग प्रौढ़ जीवन में प्रवेश करने वाला होता है। इस वर्ग के लोग वयस्क होकर विवाहित जीवन व्यतीत करते हैं और माता–पिता बनते हैं। इनको ही परिवार के आकार के बारे में निर्णय करना होता है जिसका जनसंख्या की वृद्धि से सीधा सम्बन्ध है। अतः इस वर्ग के लोगों को बच्चों की बढ़ती हुई जनसंख्या से सीधा सम्बन्ध है। अतः इस वर्ग के लोगों को जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराना आवश्यक है जिससे वे अपने भावी परिवार के आकार के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय ले सकें। साथ ही इस युवा पीढ़ी को छोटे आकार के परिवार के विचार के प्रति आकृष्ट करना आवश्यक है जिससे वे प्रौढ़ावस्था में अपने परिवार को सीमित रख सकें। यह तभी सम्भव है जब जनमानस को सीमित परिवार की अच्छाइयाँ तथा लम्बे परिवार से उत्पन्न परेशानियों व सम्भावित परिणामों का ज्ञान हो।

अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु स्कूल में इस युवा पीढ़ी के बच्चों को छोटा परिवार रखने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि बच्चे मात्र संयोग से पैदा नहीं होते वरन् उनकी उत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या–शिक्षा के अन्तर्गत कुछ ऐसी बातें बतायी जाती हैं जिनसे इस युवा पीढ़ी के लोगों को जनसंख्या की गति उसका रूख तथा देश के सामाजिक एवम् आर्थिक जीवन पर उसके प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

जनसंख्या की वृद्धि आवश्यकता से अधिक हो जाने से देश को नुकसान होता है, लाभ कोई नहीं होता। जिन परिवारों में बच्चे अधिक होते हैं उनमें उनकी देखभाल, लालन–पालन शिक्षा आदि की ओर माता पिता का ध्यान कम जाता है। बालक दुबले–पतले, अस्वस्थ, अशिक्षित रहने से नई पीढ़ी निस्तेज और दरिद्र दिखाई देती है। यदि हम दश की गरीबी और अशिक्षा को कम करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या की बाढ़ पर रोक लगानी होगी। एक ओर सरकार सुख समृद्धि लाने के लिए पंचवर्षीय योजनायें चलाती है, दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ने से इन योजनाओं की उपलब्धियाँ फीकी पड़ जाती हैं और गरीबी और अशिक्षा की समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है।

प्रतिवर्ष प्रति हजार जितने औसत बच्चे जन्म लेते हैं अथवा मरते हैं उसे ही क्रमशः जन्मदर व मृत्यु दर कहते है। जब जन्म दर, मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि स्वाभाविक ही है जैसे कि भारतवर्ष में सन् 1971 से 1981 के मध्य जन्म दर 36 तथा मृत्यु दर 14.8 रही। अस्तु इस समयावधि में वृद्धि दर 24.75 रही है।

तीसरा कारक प्रवास है। यदि जनसमूह का प्रवास देश के बाहर होता है तो प्रभाव नगण्य होता है। भारत में भी प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि छोटे–छोटे भागों में बढ़ती जा रही है। खेत के छोटे–छोटे तथा तितर–बितर हो जाने से सिचाई के साधनों तथा आधुनिक यंत्रों जैसे ट्रैक्टर आदि के प्रयोग में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। आज देश में लगभग 60 प्रतिशत लोग एक कमरे वाले मकान में रह रहे हैं। जगह की कमी एवं एक ही कमरे में कई व्यक्तियों के निवास के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल पभाव पड़ रहा है। अधिकतर परिवारों में कमाने वाला प्रायः एक ही व्यक्ति है जबकि उसके आश्रितों की संख्या अधिक है। अतः सभी को सन्तुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि के बावजूद भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार की व्यवस्था करना देश की अति गम्भीर समस्या है। उद्योगों में निरन्तर विकास के पश्चात भी इस समस्या का समाधान कठिन हो गया है। जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर जो भी योजनायें बनती हैं उनसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। देश में लगातार औद्योगिक विकास के कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग नौकरियों की तलाश में इन नगरों की ओर बढ़ रहे हैं। नगरों में यातायात के साधनों की अधिकता, कारखानों के चिमनियों के धुएँ तथा मलवे से वहाँ की वायु तथा जल निरन्तर दूषित हो रहा है।

भारत की तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के हल के लिए केवल उत्पादन में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें उन कार्यवाहियों को अपनाना होगा जिनका मूल आधार जन्म दर कम करने पर हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं–

विलम्ब से विवाह

विवाह की आयु को बढ़ाने से भी जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना सम्भव हो जाता है। विलम्ब से विवाह जन्म दर को दो प्रकार से पभावित करते है। प्रथम सन्तानोत्पत्ति के लिए प्राप्त अवधि में कमी हो जाती है, द्वितीय–प्रसवन की प्रवृत्ति में सम्भवतः शिक्षा तथा आधुनिकीकरण जैसे कारणों से कम बच्चों के पक्ष में झुकाव आ जाता है। मैसूर के सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि वे ग्रामीण स्त्रियाँ जो 14 और 17 वर्ष की आयु

के मध्य विवाह करती हैं 5–9 बच्चों को जन्म देती है पर वे जो 18 से 21 वर्ष के मध्य विवाह करती हैं केवल 4–7 बच्चों को जन्म देती है। कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ दिल्ली व कानपुर में किये गये अध्ययन में पाया गया है कि 19 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने वाली स्त्रियों की प्रसवन सामर्थ्य लगभग 0.5 या 1.0 बच्चों तक होती है। डा0 एस0एन0 अग्रवाल के अनुसार ''अगर लड़कियों के विवाह की आयु 20 वर्ष या अधिक कर दी जाये तो केवल 28 वर्षो में जन्म दर 30 प्रतिशत से कम किया जा सकता है।

शिक्षा का प्रसार

शिक्षा से भी जनता में जागृति उत्पन्न होती है और लोग छोटे परिवार के महत्व को समझते हैं। अमेरिका में प्रत्येक शिक्षित दम्पत्ति के समक्ष एक मुख्य प्रश्न आता है कि एक बच्चा या एक मोटरकार? इस प्रश्न के उत्तर में वहाँ एक बच्चा अधिक रखने की अपेक्षा लोग एक कार ही रखना पसन्द करते हैं क्योंकि बच्चे की अपेक्षा कार से उन्हें अधिक आराम और सुविधा मिलती है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का क्रमिक विकास द्वारा सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति कम हो जाती है। परन्तु भारतीय जनता अशिक्षित तथा अज्ञान है। शिक्षा तथा ज्ञान के अभाव में जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी आन्दोलन सफल नहों हो सकता। छोटे परिवार के महत्व को समझाने के लिए यह आवश्यक है कि अनिवार्य शिक्षा की व्यापक योजना बनाई जाये। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि इण्टरमीडिएट तथा उससे अधिक शिक्षित औरतों को 2.7 बच्चे, मैट्रिक तक तथा पढ़ी औरतों को 4.2 बच्चे, मिडिल तक पढ़ी औरतों को 4.5 बच्चे तथा अशिक्षित औरतों को औसतन 7.7 बच्चे होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उन भारतीय महिलाओं की प्रसवन शक्ति निम्न है। जिनकी शिक्षा का स्तर मैट्रिक या उससे ऊँचा है। इन तथ्यों से जनसंख्या के नियंत्रण में शिक्षा का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

विवेकपूर्ण मातृत्व

सन् 1951 की जनगणना आयुक्त श्री गोपाल स्वामी का मत है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विवेकहीन मातृत्व पर रोक लगानी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी भी स्त्री के तीन बच्चे हो चुके हैं और उनमे से एक भी बच्चा जीवित है तो आगामी मातृत्व पर निरोध लगा देना चाहिए और इस सम्बन्ध में कानून का सहारा लिया जाना चाहिए।

परिवार नियोजन

जनसंख्या को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को संयत रूप से सीमित रखना अथवा बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त फासला रखना, परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है– ''बच्चों का जन्म अपनी इच्छा से न कि संयोग से।'' पश्चिमी देशों में जनसंख्या को कम बनाये रखने के लिए यह एक प्रमुख ढंग है। परन्तु भारत में अभी तक इस विषय की ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हमारे देश के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाये और सन्तति निरोध की ऐसी विधि निकाली जाये जो सुगम, सुरक्षित तथा साध्य हो, जिसका साधारण जनता द्वारा उपयोग किया जा सके।

सर्व–शून्या दरिद्रता

दरिद्रता अर्थात् गरीबी में सब कुछ सूना ही सूना है। का कथन अक्षरशः सत्य है और इसीलिए ''दारिद्रय यनन्शर्क दुखम्'' (दरिद्रता कभी समाप्त न होने वाला दुःख है) ''दरिद्रय षष्ट महापातकम्'' (दरिद्रता छठवां महापातक है) आदि अनेक उक्तियाँ जनसाधारण में प्रचलित है। व्यक्ति की यही गरीबी जब चारा ओर फैल जाती है तब वह सारे समाज तथा राष्ट्र को खोखला कर देती है। गरीब देश का संसार में कोई सम्मान नहीं करता, उसका कोई मित्र नहीं होता और वह सुख–शान्ति से भी रहित होता है।

भारत इस वक्त विश्व का सबसे युवा देश है। इस प्रचुर मानव संसाधन के समचित उपयोग के लिए व्यक्तिगत कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया है। इस बात की संभावना है कि वर्ष 2020 तक एक औसत भारतीय की आयु 29 साल होगी जबकि चीन की 37 और जापान की 48 साल होगी।

सन्दर्भ सूची

1. धौलाखण्डी सच्चिदानन्द : जनसंख्या दिग्दर्शिका
2. अग्रवाल एस0एम0 : इण्डियन पापुलेशन प्राब्लम्स
3. एन0सी0ई0आर0टी0 : पापुलेशन एजूकेशन इन क्लास रूम्स
4. गांगुली बी0एन0 : पापुलेशन एण्ड डेलवपमेंट
5. डा0 चन्द्रशेखर : भारतवर्ष की जनसंख्या नीति
6. प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2011
7. बिसारिया प्रो0 प्रोवीन : Seventh All India Conference of India of the Family Planning Association
8. करन सिंह : National Population Policy Statement, Govt. of India